न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं.– 33/2016

1. मजीद, 2. मुनीम, 3. जीमल — सुबराती
4. अलीमन पत्नी सुबराती
5. बिसमला, 6. लाली, 7. अंगुरी, 8. असमत — सुबराती
9. सफी मोहम्मद, 10. ठकरामुदीन, 11. रजाक, 12. अमीन — सुलेमान
13. खातुनबानों, 14. जरीना, 15. मीना — सुलेमान
16. सदीक, 17. लालमोहम्मद पुत्र — माडू खां

समस्त जाति तेल निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

..........प्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. बलबीर सिंह पुत्र रंगलाल
2. कोयल पत्नी रंगलाल
3. कृष्ण कुमार रंगलाल
4. सुशीला पुत्री रंगलाल
5. नीलम पुत्री रंगलाल
6. धर्मपाल, 7. ओमप्रकाश — जगराम जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना।
8. मान, 9. जान मोहम्मद, 10. सलामुद्दीन, 11. मुन्शी — भोलुखा
12. गिन्दोडी पत्नी रमजान
13. ईसमाइल, 14. मुस्ताख, 15. मुबारीक — रमजान

समस्त जाति तेली निवासी बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.24 16:05:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

प्रार्थना पत्र संख्या:— 33/2016
मजीद आदि बनाम बलबीर आदि
निर्णय दिनांक:— 17.11.2021

16. सैन्ट्रल बैक ऑफ इण्डियां सिधांना जरिये शाखा प्रबन्धक
17. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार।

.............अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

प्रार्थनापत्र अं0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक :— ....

—:निर्णय:—

आवेदकगण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि—

(क) अप्रार्थीगण को संख्या 1 लगायत 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि हाल खसरा नम्बर 2168/2 के पूर्वी हिस्से के सहारे— सहारे 12 फीट रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. में कोई भी कच्चा या पक्का रास्ता निर्माण न करें तथा न ही कोई निर्माण सामग्री डाले।

(ख) कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि ग्राम बुहाना स्थित हाल खसरा नम्बर 2173 में आने जाने के लिए मुख्य सड़क हाल खसरा नम्बर 2168/2 के पूर्वी हिस्से के सहारे—सहारे उत्तर से उक्षिण दिशा में 12 फीट चौडा रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई । अप्रार्थीगण की बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार बुहाना से मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई। मुताबिक मौका रिपोर्ट खसरा नम्बर 2173 में जाने के लिए सबसे नजदीक बुहाना पालोता सड़क है। इसके अलावा कोई रास्ता नजदीक नही है। खसरा नम्बर 2173 के आवेकगण खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 2173 व सड़क के मध्य खसरा नम्बर 3473/2168 पड़ता है। वर्तमान में खसरा नम्बर 3473/2168 की पूर्वी सीमा के सहारे—सहारे आते जाते है। तथा मौके पर वर्तमान में छः फीट का रास्ता मौजूद है। व चालू है। खसरा नम्बर 3473/2168 रकबा 0.83 है वर्तमान कुरडाराम पुत्र जयमलराम हि. 1/2 छाजूराम पुत्र जयमलराम हि. 1/2 जाति अहीर मानपुरा दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 3473/2168 की पूर्वी सीमा के सहारे— सहारे खसरा नम्बर 2173 की दक्षिणी सीमा तक 60 मी. दूरी है। वादी ने खसरा नम्बर 3473/2168 की पूर्वी सीमा के सहारे—सहारे 4 मी. चौडे रास्ते की मांग की है। जिसमें 60 मी. लम्बा व 4 मी. चौडा में रास्ता की भूमि 240 व.मी. भूमि बनती है। खसरा नम्बर 2173 में वर्तमान में छत्रः परिवार के मकान बने हुए है जिसमें आबाद है। तथा यह सभी मकान वाले इसी रास्ते से आना जाना करते है। खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.24 16:05:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

3473/2168 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 260 मी. लम्बाई व 4 मीटर चौडाई में 240 वर्गमीटर भूमि रास्ते के उपयोग हेतु दिया जाना उचित है।

अतः न्यायालय प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को मात्र जोत के सुविधाजनक उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला पाता है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत/मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय आवेदकगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम बुहाना में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2173 रकबा 1.00 में आने जाने के लिए ग्राम बुहाना के खसरा नम्बर 3473/2168 रकबा 0.83 पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 60 X 4 = 240 वर्गमीटर अर्थात 0.024 है. (नजरी नक्शे प्रदर्श–'अ' के अनुसार) रास्ते के रूप में दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अमल की दृष्टि से राउण्ड फिगर अर्थात एयर में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में **"गैर मुमकिन रास्ता"** के रूप मे सरकारी खाते में दर्ज की जावे। इस रास्ते से अन्यजन के रास्ते के उपयोग–उपभोग के अधिकार भी बने रहेगे। ग्राम बुहाना की वर्तमान डीएलसी दर 1523222/– रूपयें प्रति हैक्टयर के अनुसार कुल रकबा 0.024 है. की मुआवजा राशि 3660/– रूपये के दोगुणा 7320/– रूपये राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते है। मुआवजा राशि राजकोष में जमा करवाने हेंतु तहसीलदार बुहाना को लिखा जावे। मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने पर नियमानुसार संम्बन्धित खातेदार/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे। अप्रार्थीगण को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि उक्त रास्ते के उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। राजकोष में राशि जमा होने पर तहसीलदार बुहाना रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह, पत्थरगढी कायम कर रास्ता कायम किया जावे। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक **17-11-2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.24 15:05:13 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)